वार्षिक रिपोर्ट

Annual Report

2017-2018

भारत सरकार

Government of India

गृह मंत्रालय

Ministry Of Home Affairs

राजभाषा विभाग

Department of Official Language

प्रस्तावना

भारत की संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य, जीवनचर्या एवं जीवन मूल्य, आध्यात्मिक आस्थायें, धार्मिक मान्यताएं, बाजार, व्यापार, रोज़गार तथा समाज की बहुमुखी परम्पराएं आदि लम्बे समय से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। हिंदी इन तमाम प्रयोजनों की पृष्ठभूमि में बहुरंगी-बहुभाषी-बहुरूप भारत देश को जानने का महत्वपूर्ण माध्यम है। हमारे बहुभाषी देश में सम्पर्क भाषा के रूप में हिंदी भाषा का स्थान सर्वोपरि है। आज़ादी के पूर्व भी हिंदी भाषा ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक देश के सभी हिस्सों में राष्ट्रनायकों ने हिंदी भाषा के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया है, यही कारण है कि संविधान द्वारा हिंदी को राजभाषा दर्जा प्राप्त है।

राजभाषा होने के कारण सभी का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि अधिक से अधिक सरकारी काम-काज हिंदी में ही करें। स्वयं के साथ दूसरों को भी हिंदी में कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करें।

राजभाषा के कार्यान्वयन तथा व्यापक प्रचार-प्रसार के लिये सन् 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना हुई। चार दशकों से अधिक समय से राजभाषा विभाग केंद्र सरकार के देशभर में स्थित कार्यालयों, अधीनस्थ उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, स्वायत्तशासी निकायों आदि में कार्यरत सभी स्तर के कार्मिकों को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों - केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण सस्थान के राष्ट्रव्यापी नेटवर्क द्वारा अनुवाद एवं राजभाषा के चार स्तर प्राज्ञ, प्रबोध, प्रवीण एवं पारंगत पाठयक्रमों का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक दे रहा है।

राजभाषा विभाग की नीति हमेशा से प्रेरणा एवं प्रोत्साहन की रही है । वर्ष 2017-18 में राजभाषा विभाग ने माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं माननीय गृह राज्यमंत्री श्री किरेन रीजीजू के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रेरणादायी नेतृत्व में कई उल्लेखनीय कार्य किये हैं, जिन्हें विभाग द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2017-18 में मुद्रित किया गया है। राजभाषा विभाग को यह विश्वास है कि विभाग द्वारा किये गये कार्य बाकी सभी संस्थानों के लिये प्रेरणास्रोत का कार्य करेंगे तथा भविष्य में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार में दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करेंगे।

विवरण

सं.	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1.	राजभाषा विभाग की संरचना तथा कार्य	1-3
2.	वर्ष 2017-18 के दौरान उल्लेखनीय कार्यकलाप	4-12
3.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपाय	13-16
4.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो	17-20
5.	हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान	21-26
6.	इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास	27-29
7.	प्रचार-प्रसार, प्रकाशन तथा साहित्य का वितरण	30-32
8.	केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा	33-34
9.	संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य	35-38
10.	डी.जी.सी.आर.की बकाया लेखा-परीक्षा आपत्तियों का विवरण (31.12.2017 तक)	39

अध्याय-1

राजभाषा विभाग की संरचना तथा कार्य

संघ के राजभाषा संबंधी सांविधानिक और कानूनी उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय के एक स्वतंत्र विभाग के रूप में जून, 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। उसी समय से यह विभाग संघ के सरकारी काम-काज में हिंदी का प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है । भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार, राजभाषा विभाग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं: -

1. संविधान में राजभाषा से संबंधित उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) के उपबंधों का कार्यान्वयन, उन उपबंधों को छोड़कर जिनका कार्यान्वयन किसी अन्य विभाग को सौंपा गया है ।

2. किसी राज्य के उच्च न्यायालय की कार्यवाही में अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी अन्य भाषा का सीमित प्रयोग प्राधिकृत करने के लिए राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ।

3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी शिक्षण योजना और पत्र-पत्रिकाओं एवं उससे संबंधित अन्य साहित्य के प्रकाशन सहित संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों के लिए केंद्रीय उत्तरदायित्व ।

4. संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में समन्वय, जिनमें प्रशासनिक शब्दावली, पाठ्य विवरण, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उनके लिए अपेक्षित उपस्कर (मानकीकृत लिपि सहित) शामिल हैं ।

5. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन और संवर्ग प्रबंधन ।

6. केंद्रीय हिंदी समिति से संबंधित मामले ।

7. विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्थापित हिंदी सलाहकार समितियों से संबंधित कार्य का समन्वय।

8. केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो से संबंधित मामले ।

9. हिंदी शिक्षण योजना सहित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित विषय ।

10. क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों से संबंधित विषय ।

11. संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित विषय ।

राजभाषा विभाग का संगठनात्मक स्वरूप

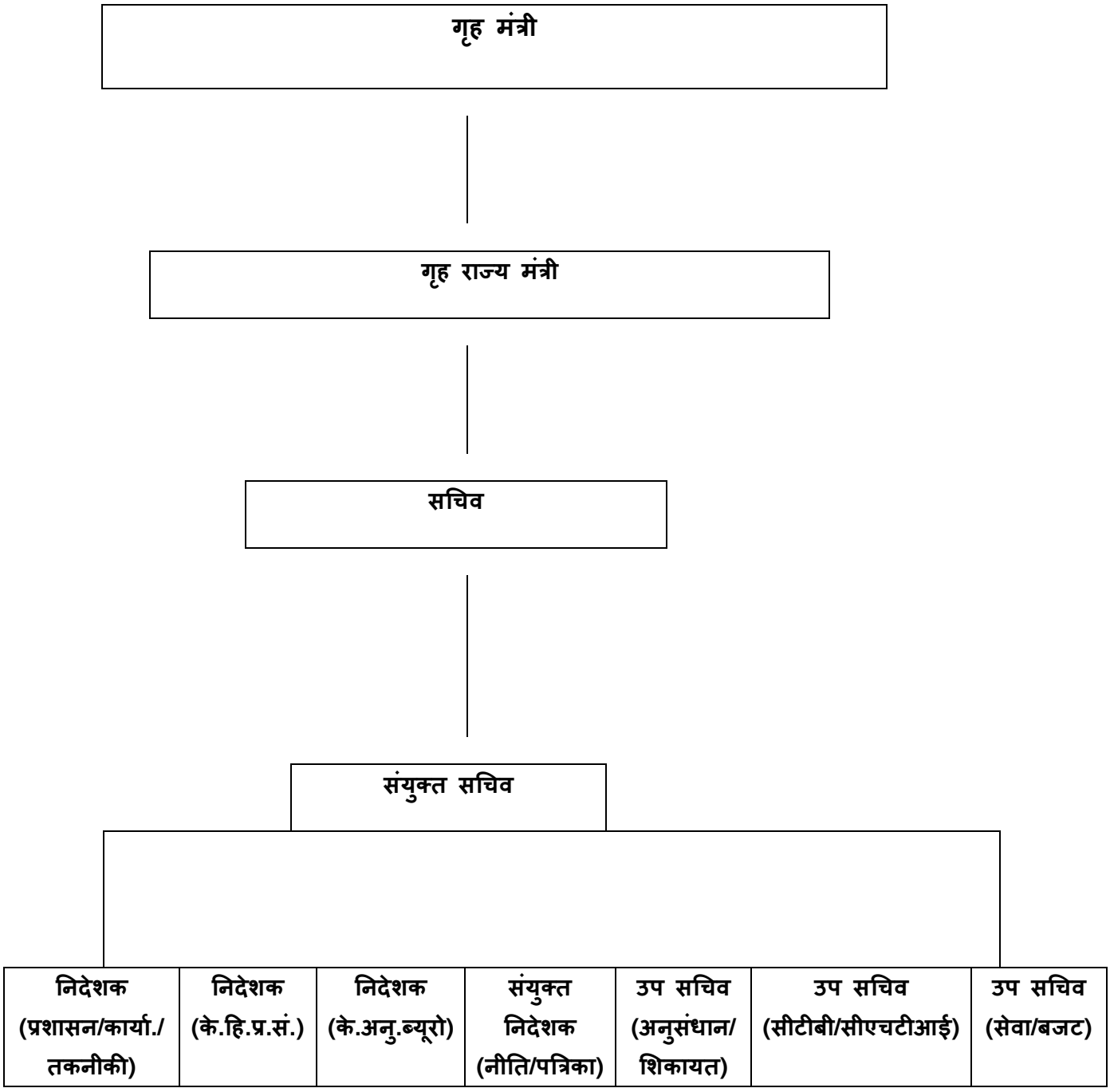

राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय

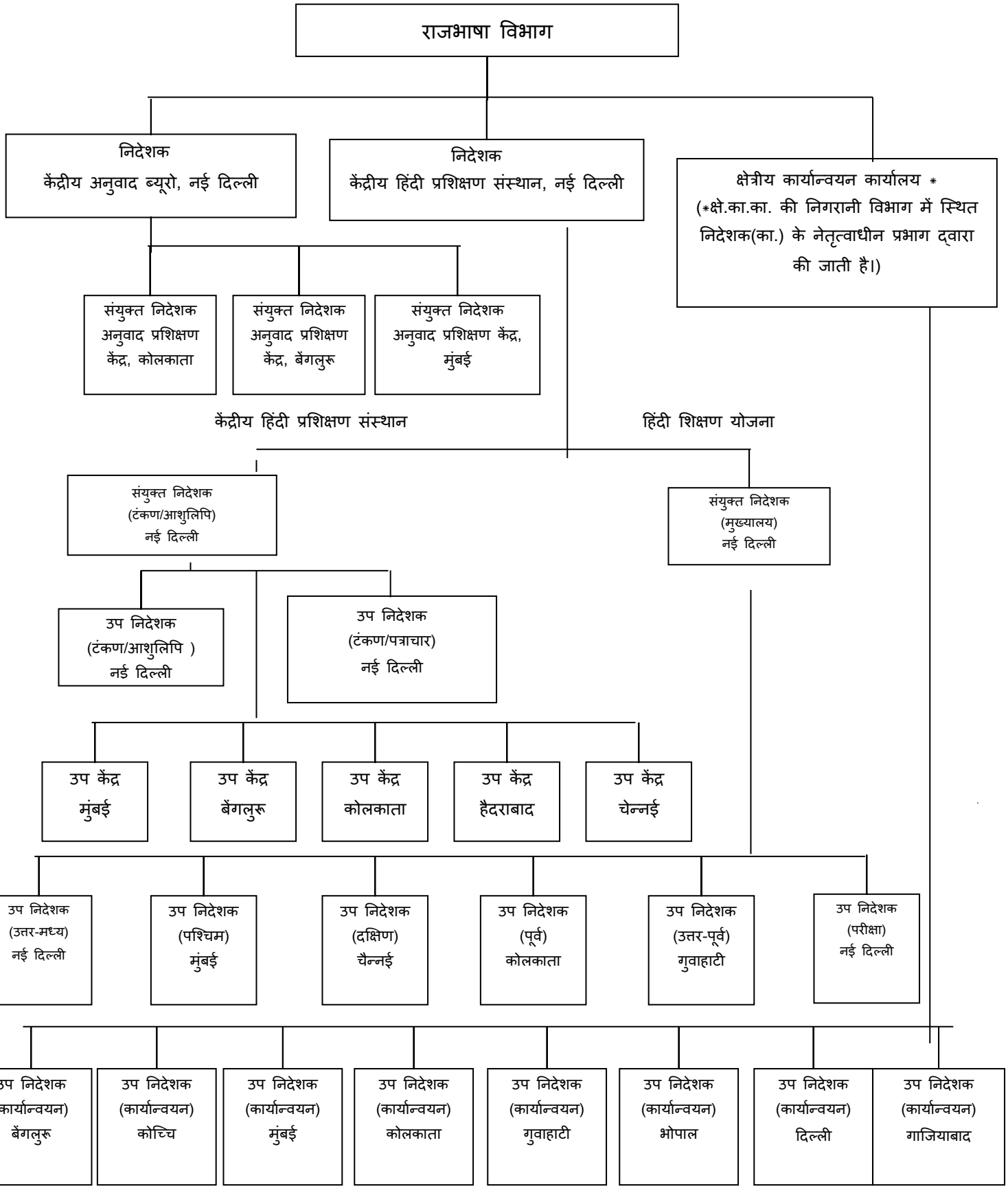

अध्याय - 2

वर्ष 2017-18 के दौरान उल्लेखनीय कार्यकलाप

2.1 संवादात्मक, प्रश्नोत्तरी और पहेली द्वारा साहित्यिक उत्साहवर्धन

मातृभूमि की एकमात्र लोकप्रिय संपर्क भाषा हिंदी को संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्र भारत की राजभाषा का दर्जा दिया । नि:संदेह उनका स्वप्न हिंदी के माध्यम से हमारे बहुभाषीय देश को एक भावनात्मक सूत्र में बांधने का था । इसी सोच के अनुरूप जनसाधारण और लोक सेवकों की रुचि हिंदी के प्रति बढ़ाने हेतु सुविख्यात हिंदी साहित्यकारों की 100 लघु कहानियां राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । ये सभी कालजयी लघुकथाएं टेक्स्ट एवं ऑडियो रूप में उपलब्ध हैं। इनके पठन-पाठन से आम नागरिकों एवं सरकारी कार्मिकों विशेषकर हिंदीतर भाषियों की भाषाई दक्षता में सुधार आएगा और उनकी साहित्यिक अभिरुचि में वृद्धि होगी।

2.2 वार्षिक कार्यक्रम का प्रकाशन

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के लिए वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया गया और इसे मुद्रित करवाकर सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में वितरित किया गया । साथ ही इस वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 को राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर भी अपलोड किया गया ।

2.3 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट का प्रकाशन

राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में राजभाषा विभाग की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की गई प्रगति की स्थिति दर्शायी जाती है तथा इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की गई और इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया । तत्पश्चात इसे राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

2.4 तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन

सरकारी कामकाज में हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग के लिए इसे सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ना आवश्यक है। विभाग ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक वित्त वर्ष में विभाग के तत्वावधान में देश के विभिन्न स्थानों पर चार तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाए। तकनीकी संगोष्ठियो का आयोजन विभाग की नई पहल है। इन तकनीकी संगोष्ठियों में हिंदी से जुड़े सभी मुद्दों पर न सिर्फ व्यापक चर्चा होती है बल्कि हिंदी के फोंट, यूनिकोड का प्रयोग, वॉयस टू टेक्स्ट टाइपिंग, सूचना प्रबंधक प्रणाली आदि हिदीं से जुड़े सभी विषयों को डेमो के जरिए दिखाया और समझाया जाता है तथा सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी के प्रयोग से संबंधित सभी विषयों पर विस्तृत अद्यतन सूचना दी जाती है। कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने की तकनीकी जानकारी देने हेतु वर्ष 2017-18 के दौरान पुदुचेरी, जोधपुर, इंदौर तथा गुवाहाटी में एक दिवसीय तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया । इन तकनीकी संगोष्ठियों में विभिन्न कार्यालयों के प्रतिभागियों द्वारा भी अपने कार्यालयों में कंप्यूटरों पर हिंदी में किए जा रहे कार्यों की प्रस्तुति दी गई ।

2.5 राजभाषा विभाग के डायरी एवं कैलेंडर

वर्ष 2018 के लिए राजभाषा कैलेंडर और राजभाषा डायरी का मुद्रण कराया गया और राजभाषा विभाग द्वारा इसे सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के माननीय राज्यपालों, उप-राज्यपालों एवं माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ सभी संसद सदस्यों तथा उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों और राजभाषा विभाग और इसके अधीनस्थ कार्यालयों में वितरित किया गया ।

2.6 हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें

केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा नीति के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के बारे में सलाह देने के उद्देश्य से संबंधित मंत्रालयों/विभागों के माननीय मंत्रियों की अध्यक्षता में 54 हिंदी सलाहकार समितियां गठित हैं जिनमें से वर्ष के दौरान 05 मंत्रालयों/विभागों की हिंदी सलाहकार समितियों का गठन किया गया । इस वर्ष के दौरान 31 दिसंबर, 2017 तक हिंदी सलाहकार समिति की 39 बैठकें आयोजित की गईं ।

2.7 राजभाषा भारती का प्रकाशन

राजभाषा विभाग की त्रैमासिक पत्रिका-**'राजभाषा भारती'** केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए समर्पित एक अत्यंत महत्वपूर्ण पत्रिका है | इसका प्रकाशन वर्ष 1978 से निरंतर किया जा रहा है तथा हर अंक की पांच हज़ार प्रतियाँ छपवाई जाती हैं । चार हज़ार से ज्यादा प्रतियाँ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा उपक्रमों आदि को डाक द्वारा भेजी जाती हैं । पत्रिका की शेष प्रतियां स्थानीय स्तर पर वितरित की जाती हैं । दिसंबर 2017 तक राजभाषा भारती के 153 अंकों का प्रकाशन किया जा चुका है ।

पत्रिका में राजभाषा/साहित्य/ज्ञान-विज्ञान पर स्तरीय तथा सरल हिंदी में सूचनाप्रद और ज्ञानवर्द्धक लेख प्रकाशित किए जाते हैं | विभिन्न तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रिका में श्रेष्ठ व स्तरीय आलेखों को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को भी पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। समय-समय पर विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं |

2.8 गृह पत्रिका पुरस्कार योजना

वर्ष 2005-06 से केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं के लिए एक पुरस्कार योजना आरंभ की गई है | इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत क, ख और ग क्षेत्रों के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों व बैंकों को प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं |

वर्ष 2017 के लिए हिंदी दिवस 14 सितम्बर, 2017 के अवसर पर भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा 'क' क्षेत्र में 'गृह पत्रिका पुरस्कार' भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ द्वारा प्रकाशित 'इक्षु' को प्रथम एवं एन.एच.पी.सी. फरीदाबाद, हरियाणा द्वारा प्रकाशित 'राजभाषा ज्योति' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया । 'ख' क्षेत्र में भारतीय स्टेट बैंक कारपोरेट कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'प्रयास' को प्रथम और आई डी बी आई बैंक लिमिटेड, मुंबई द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'विकास प्रभा' को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया । जबकि 'ग' क्षेत्र में सिंडिकेट बैंक, मणिपाल, कर्नाटक द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'जागृति' को प्रथम एवं इंडियन ओवरसीज बैंक, चैन्नै द्वारा प्रकाशित पत्रिका 'वाणी' को द्वितीय पुरस्कार, प्रदान किया गया ।

2.9 पत्र-पत्रिकाओं में हिंदी में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों को पुरस्कार

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट लेखों के लेखकों के लिए वर्ष 2012-13 से नई पुरस्कार योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत हिंदी भाषी प्रतिभागियों के लिए प्रथम पुरस्कार बीस हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार अठारह हजार रुपये तथा तृतीय पुरस्कार पन्द्रह हजार रुपये के रूप में स्वीकृत है। हिंदीतर भाषी प्रतिभागियों के लिए यह राशि क्रमश: पच्चीस हजार रुपये, बाइस हजार रुपये तथा बीस हजार रुपये है।

इस योजना में केंद्र सरकार के कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कार्मिक भाग ले सकते हैं । 14 सितंबर, 2017 को भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रकाशित लेखों के लिए इस योजना के अंतर्गत 3 पुरस्कार हिंदी भाषियों और 3 पुरस्कार हिंदीतर भाषियों को प्रदान किए गए।

2.10 केंद्र सरकार के कार्यालयों के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे वार्षिक कार्यक्रमों में हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी लक्ष्यों को पूरा कर सकें । इसके लिए प्रति वर्ष स्तरीय पुस्तकों की एक सूची राजभाषा विभाग द्वारा तैयार करके जारी की जाती है । यह सूची विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर उपलब्ध है ।

2.11 शुभकामना संदेश

विभाग द्वारा पूरे देश में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभिन्न अकादमियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपनी पत्रिकाओं/प्रकाशनों तथा समारोहों के लिए माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सचिव (राजभाषा) तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर से शुभकामना संदेशों के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं | इसके अतिरिक्त, विभिन्न पत्रिकाओं/प्रकाशनों/पुस्तकों पर प्रतिक्रिया देने के बारे में भी अनुरोध प्राप्त होते है । इस तथ्य के मद्देनजर कि ये संदेश राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, विभाग द्वारा प्राय: सभी अनुरोधों का समुचित उत्तर देते हुए उन्हें गृह मंत्री जी, गृह राज्य मंत्री जी, सचिव तथा संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से संदेश आदि प्रेषित किए जाते हैं । वर्ष 2017 के दौरान राजभाषा विभाग की ओर से विभिन्न संस्थाओं को शुभकामना संदेश प्रेषित किए गए।

2.12 केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति

केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों में राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियम, 1976 के उपबंधों के अनुसार सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी प्रशिक्षण तथा राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने तथा उसके अनुपालन में पाई गई कमियों को दूर करने के उपाय सुझाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग में केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति मौजूद है। सचिव, राजभाषा विभाग इसके अध्यक्ष हैं तथा मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा हिंदी का कार्य देख रहे प्रभारी अधिकारी (संयुक्त सचिव स्तर) इसके सदस्य हैं । इस समिति की 39वीं बैठक चार चरणों में दिनांक 28 जून, 2017, 23 अगस्त, 2017, 25 अगस्त, 2017 तथा 30 अगस्त, 2017 को हुई ।

2.13 नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन

केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन पर नजर रखने के लिए देश के विभिन्न प्रमुख नगरों में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । इस वर्ष 28 नई नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है । अब इन समितियों की संख्या 472 हो गई है । इन समितियों की वर्ष में दो बार बैठकें होनी अपेक्षित हैं । इन बैठकों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के संबंध में किए जाने वाले उपायों पर विचार किया जाता है ।

2.14 विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकें

सभी मंत्रालयों/विभागों तथा कार्यालयों में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है। इनकी बैठकें तीन महीने में एक बार आयोजित की जाती हैं । बैठकों में तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय किए जाते हैं। राजभाषा नीति और इसे कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों तथा अद्यतन आदेशों की स्थिति की जानकारी देने के लिए इन बैठकों में राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं । विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की 271 बैठकें हुईं ।

2.15 राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना राजभाषा विभाग द्वारा वर्ष 2015-16 से लागू की गई है। इस पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, बोर्डों/संस्थाओं/स्वायत्त निकायों आदि, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों और हिंदी गृह पत्रिकाओं को सरकार की राजभाषा नीति को बढ़ावा देने के कार्य में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए शील्डें प्रदान की जाती हैं ।

2.16. राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना

इस योजना का मूल उद्देश्य में मौलिक रूप से हिंदी भाषा में लेखन को प्रोत्साहित करना है । इस योजना में शामिल हैं :-

(क) भारत के नागरिकों को हिंदी में ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए :

प्रथम पुरस्कार (एक) - 2,00,000/-, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार (एक) - 1,25,000/-, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार (एक) - 75,000/-, प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ख) केन्द्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त सहित) को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार : इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2017 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों के लिए निम्नलिखित पुरस्कार दिए गए :

प्रथम पुरस्कार - 1,00,000/- रुपये प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
द्वितीय पुरस्कार - 75,000/- रुपये प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
तृतीय पुरस्कार - 60,000/- रुपये प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

(ग) केन्द्र सरकार के कार्मिकों को (सेवा निवृत्त सहित) हिन्दी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार : इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 पुरस्कार दिए जाते हैं :

	हिन्दी भाषी	**हिन्दीतर भाषी**
प्रथम-	20,000/-	25,000/-.
दितीय-	18,000/-	22,000/-
तृतीय-	15,000/-	20,000/-

2.17 हिंदी दिवस 2017

14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध पारित किए गए थे। इस उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को केंद्र सरकार के कार्यालयों आदि में हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है । इस वर्ष हिंदी दिवस समारोह का आयोजन माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा किया गया । भारत के राष्ट्रपति इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इस अवसर पर माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए **:-**

(क) वर्ष 2016 के लिए 'राजभाषा गौरव पुरस्कार' जिसमें में निम्नलिखित पुरस्कार शामिल हैं**:-**

(**i**) केंद्र सरकार के कार्मिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार
(**ii**) भारत के नागरिकों के लिए ज्ञान-विज्ञान मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार
(**iii**) उत्कृष्ट लेख पुरस्कार

(ख) वर्ष 2016-17 के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, बोर्डों/स्वायत्त संस्थानों आदि, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' ।

(ग) वर्ष 2016-17 के लिए मंत्रालयों/विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट गृह पत्रिकाओं को **'**गृह पत्रिका कीर्ति पुरस्कार**'**

इस अवसर पर शील्ड/प्रमाण-पत्र/नगद राशि के रूप में कुल 67 पुरस्कार प्रदान किए गए ।

2.18 क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन

राजभाषा सम्मेलनों के आयोजन से राजभाषा की प्रगति के संबंध में विचार-विमर्श हेतु एक औपचारिक मंच उपलब्ध होता है तथा सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहन मिलता है । इन सम्मेलनों में केंद्र सरकार के संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि को संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राजभाषा शील्डें भी प्रदान की जाती हैं। प्रत्येक वर्ष ऐसे चार सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं । इस वर्ष पहला क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन 08, दिसंबर, 2017 को विशाखपट्टणम में, दूसरा सम्मेलन 12 जनवरी, 2018 को मुंबई में, तीसरा सम्मेलन 09 फरवरी, 2018 को वाराणसी में तथा चौथा सम्मेलन 10 मार्च, 2018 को पटना में आयोजित किया गया।

2.19 हिंदी भाषा, हिंदी आशुलिपि व हिंदी टंकण में प्रशिक्षण

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत इस वर्ष के दौरान (01 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक) केंद्र सरकार के लगभग 24418, 3641 और 156 कर्मचारियों को क्रमश: हिंदी भाषा, हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि में प्रशिक्षित किया गया।

2.20 अनुवाद एवं अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा 01 जनवरी, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक की अवधि में केंद्र सरकार के कार्यालयों के लगभग 32,207 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया। इसके अतिरिक्त राजभाषा कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए कुल 41 अनुवाद प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें कुल 827 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

2.21 हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण

कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 2017-18 में कुल 100 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित ये प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों आदि के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए नि:शुल्क हैं ।

2.22 कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण

दिनांक 24 अप्रैल, 2008 के संकल्प द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण पूरा करने के लिए समय-सीमा को दिसंबर, 2008 से वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है।

2.23 राजभाषा नीति संबंधित उपलब्धियां

माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कार्यरत राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा प्रगामी प्रयोग के संबंध में दिशा निर्देश देने वाली केंद्रीय हिंदी समिति के पुनर्गठन के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। सरकारी और गैर सरकारी हिंदी विद्वान सदस्यों की सूची तैयार करके संकल्प सं 20017/02/2016-राभा(नीति) दिनांक 23.06.2017 द्वारा पुनर्गठन कराया गया । केंद्रीय हिंदी समिति की 31वीं बैठक हेतु सभी संबधित मंत्रालयों/विभागों तथा केंद्रीय हिंदी समिति के सदस्यों से टिप्पणी मंगवा कर उसकी समीक्षा एवं संकलन किया तथा माननीय गृहमंत्री जी के अनुमोदन के उपरांत माननीय प्रधानमंत्री जी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया।

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के नौवें खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश संकल्प सं 20012/01/2017-राभा (नीति) दिनांक 31.03.2017 द्वारा जारी किए। संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन के प्रथम आठ खंडों में अस्वीकृत सिफ़ारिशों / संशोधन के साथ स्वीकृत सिफ़ारिशों की समीक्षा हेतु समिति का गठन किया और सिफ़ारिशों पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य के अनुकूल राष्ट्रपति के परिशोधित आदेश संकल्प सं 20012/02/2017-राभा(नीति)-पार्ट-1 दिनांक 06.12.2017 को जारी किए।

हिंदी में दिये गए विज्ञापनों की संख्या अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के बराबर किए जाने संबंधी राजभाषा नीति का विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को स्पष्टीकरण जारी किया।

2.24 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/उपक्रमों की बैठक

राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं विकास की गति बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न राष्ट्रीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु तैयार किए गए वार्षिक कार्यक्रम के सुचारू रूप से कार्यान्वयन में बैंकों/उपक्रमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । इस संबंध में हिंदी के प्रगामी प्रयोग के कार्यान्वयन से जुड़ी कठिनाइयों और उनके निराकरण के बारे में विस्तार से चर्चा हेतु सचिव (राजभाषा) की अध्यक्षता में दिनांक 05.04.2017 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उच्चाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई । इसी प्रकार, दिनांक 12.06.2017 को सचिव (राजभाषा) एवं दिनांक 18.09.2017 को माननीय गृह राज्य मंत्री जी की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैठक आयोजित की गई ।

अध्याय-3

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए उपाय

3.1 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम

राजभाषा संकल्प, 1968 के अनुसार, केंद्र सरकार को, हिंदी के प्रसार तथा विकास की गति बढ़ाने और संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसका प्रगामी प्रयोग बढ़ाने के लिए एक गहन और विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने तथा उसे कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया था । इस संकल्प के अनुसरण में राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । वर्ष 2017-18 के लिए वार्षिक कार्यक्रम को केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, उपक्रमों आदि में इस अपेक्षा के साथ परिचालित किया गया कि वे वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में पूरा प्रयास करेंगे । वार्षिक कार्यक्रम 2017-18 को राजभाषा विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर उपलब्ध कराया गया ।

3.2 राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार योजनाएं

राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । तदनुसार, सरकारी कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए कई प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की गई हैं । इनमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों व वित्तीय संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप वर्ष 2015-16 से राजभाषा कीर्ति एवं व्यक्तियों द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए '**राजभाषा गौरव पुरस्कार**' योजना शुरू की गई है ।

राजभाषा कीर्ति पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित छः श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं:-

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

(ग) भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

(घ) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

(ङ) भारत सरकार के बोर्ड, स्वायत्त निकाय, ट्रस्ट, सोसाइटी इत्यादि के लिए समेकित रूप से राजभाषा कीर्ति पुरस्कार !

(च) हिंदी गृह पत्रिका के लिए कीर्ति पुरस्कार।

राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीन श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं-

1. केंद्र सरकार के कार्मिकों (सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित) के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।
2. भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में 'ज्ञान-विज्ञान' मौलिक पुस्तक लेखन के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।
3. केंद्र सरकार के कार्मिकों को (सेवानिवृत्त सहित) हिंदी में उत्कृष्ट लेख के लिए राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना ।

3.3 हिंदी के प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम संबंधी प्रावधानों तथा भारत सरकार के राजभाषा संबंधी आदेशों के कार्यान्वयन की प्रगति पर नजर रखने के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों आदि से तिमाही प्रगति रिपोर्टें ऑनलाइन मंगाई जाती है । इन रिपोर्टों की समीक्षा की जाती है और पाई गई कमियों की ओर संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्टों की समीक्षा संबंधित विभाग या मंत्रालय द्वारा स्वयं भी की जाती है ।

3.4 निर्धारित कागज-पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया जाना

राजभाषा अधिनियम,1963 की धारा 3 (3) में यह व्यवस्था है कि संघ के कुछ निर्धारित सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जाएगा । इस सांविधिक अपेक्षा के अनुपालन पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है । मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष के दौरान धारा 3 (3) के अंतर्गत कुछ अपवादों को छोड़कर जारी किए जाने वाले सभी दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी किए गए ।

3.5 निरीक्षण कार्य में प्रगति

केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में हिंदी कार्यान्वयन की निगरानी का दायित्व नोडल विभाग होने के नाते राजभाषा विभाग को सौंपा गया है । यह दायित्व राजभाषा विभाग तथा इसके क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करके पूरा किया जाता है । वर्ष के दौरान विभाग के अधिकारियों द्वारा 1612 निरीक्षण किए गए ।

3.6 राजभाषा नियम,1976 के नियम 10(4) के अंतर्गत हुई प्रगति

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 (4) के अनुसार केंद्र सरकार के जिन कार्यालयों के 80% या उससे अधिक कर्मचारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनके नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाने की व्यवस्था है । इस प्रावधान के अंतर्गत कार्यालयों को अधिसूचित करने की कार्रवाई तेजी से की जा रही है । 31.03.2018 तक केंद्र सरकार के 33,924 कार्यालयों को अधिसूचित किया जा चुका है ।

3.7 हिंदी में पत्राचार

अप्रैल, 2017 से दिसंबर, 2017 तक मंत्रालयों/विभागों में हिंदी में प्राप्त कुल 4,89,770 पत्रों में से कुछ अपवादों को छोड़कर सभी पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए गए । इस अवधि के दौरान विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा हिंदी में भेजे गए पत्रों की संख्या 15,80,260 है । मंत्रालयों/विभागों द्वारा राजभाषा विभाग को भेजी गई तिमाही प्रगति रिपोर्टों में जहां यह देखा गया कि हिंदी में पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया है, वहां संबंधित मंत्रालयों/विभागों को स्थिति में सुधार करने के लिए कहा गया है ।

3.8 शिकायतों का समाधान

लोक शिकायतों के निवारण के लिए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (प्रशासनिक सुधार तथा लोक शिकायत विभाग) के आदेशानुसार राजभाषा विभाग में शिकायत अनुभाग की स्थापना की गई है।

केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/ विभागों/ कार्यालयों/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ निगमों/ स्वायत्त निकायों/ बैंकों आदि में संघ की राजभाषा नीति/ अधिनियम आदि के उल्लंघन से संबंधित सरकारी/गैर सरकारी व्यक्तियों तथा संगठनों से प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए इस विभाग के संबंधित प्रभागों/ अनुभागों अथवा संबंधित मंत्रालय/विभाग को प्रेषित करके उपयुक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। जनवरी, 2017 से दिसंबर, 2017 के दौरान प्राप्त शिकायतों/ प्रतिवेदनों/ सुझावों की संख्या 1275 (बारह सौ पचहत्तर) रही है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

राजभाषा विभाग में इस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है-

आरटीआई आवेदनों और अपीलों का ब्यौरा						
शीर्ष	**01.04.2017 के आरंभ में लंबित आवेदन**	**धारा 6(3) के तहत अन्य लोक सूचना अधिकारी से हस्तांतरित होकर प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या**	**धारा 6(3) के तहत अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित मामलों की संख्या**	**निर्णयों की संख्या जहां आवेदन/ अपील स्वीकृत नहीं किए गए**	**निर्णयों की संख्या जहां आवेदन/ अपील स्वीकृत किए गए**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
आवेदन	**00**	**185**	**292**	**70**	**09**	**398**
प्रथम अपील	**00**	**01**	**42**	**01**	**00**	**42**

अध्याय-4
केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो

4.1 असांविधिक कार्यविधि साहित्य का अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों तथा उपक्रमों, बैंकों आदि के मैनुअलों, कोडों, फार्मों तथा अन्य विविध असांविधिक साहित्य के अनुवाद के लिए गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना 1 मार्च, 1971 को की गई । तब से केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो लगातार यह कार्य कर रहा है। उपर्युक्त के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा गठित सरकारिया आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग, पांचवां वेतन आयोग, जैन आयोग आदि विभिन्न आयोगों की रिपोर्टों का अनुवाद कार्य भी ब्यूरो को सौंपा गया । संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार अब विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों को अपनी प्रशिक्षण सामग्री हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करनी है । इसलिए विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों की सामग्री भी ब्यूरो में अनुवाद के लिए प्राप्त हो रही है । केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में **नियमित स्थापना** के अंतर्गत दिसंबर 2017 तक 18,29,388 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया है ।

इसके अलावा, अनुवाद कार्य को तेजी से पूरा करने के लिए अप्रैल,1989 से **अनुवाद क्षमता विस्तार योजना** प्रारंभ की गई, जिसके अंतर्गत भुगतान आधार पर ब्यूरो से बाहर के अनुवादकों से प्रतिवर्ष अनुवाद करवाया जाता था । इस योजना के अंतर्गत जुलाई, 2014 तक 6,77,332 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया। दिनांक 28.7.2014 की फा.सं. 13011/48/2014-रा.भा.(केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो) के आदेश के अनुसार अनुवाद क्षमता विस्तार योजना बंद कर दी गई ।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार सहज, सरल और सुबोध भाषा में अनुवाद करने, अनुवाद की गुणवत्ता, शब्दावली की एकरूपता और परिशुद्धता सुनिश्चित करने एवं अनुवादकों को अनुवाद, वर्तनी, लिपि, व्याकरण तथा भाषाविज्ञान के क्षेत्र में पुरानी एवं नई संकल्पनाओं से परिचित कराने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों आदि के हिंदी अधिकारियों/हिंदी अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद-संबंधी विविध प्रकार के प्रशिक्षण प्रदान किए जाते हैं और नियमित रूप से अनुवाद का अभ्यास कराया जाता है । ब्यूरो द्वारा इस प्रयोजन के लिए 05 विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ।

4.2. नियमित स्थापना द्वारा अनुवाद कार्य

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो ने अपनी स्थापना की तारीख 1 मार्च, 1971 से 31 दिसंबर, 2017 तक 18,29,388 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया ।

गत वर्षों की तरह, वर्ष 2017-2018 के लिए नियमित स्थापना का अनुवादकों की संख्या के अनुपात के अनुरूप अनुवाद कार्य का लक्ष्य 35,000 मानक पृष्ठों का है । इनमें से 1 मार्च, 2017 से 31 दिसंबर, 2017 तक 23,948 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।

4.3 अनुवाद क्षमता विस्तार योजना

केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की केंद्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त सामग्री का अनुवाद करने की क्षमता सीमित है। परंतु लगभग उतनी ही या उससे अधिक सामग्री अनुवाद के लिए प्रतिवर्ष एकत्र हो जाती है । अत: अनुवाद का बैकलॉग हो जाता है। लंबित कार्य को यथाशीघ्र निपटाने के लिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो में अप्रैल, 1989 से 'अनुवाद क्षमता विस्तार योजना' शुरु की गई। इसके अंतर्गत ब्यूरो से बाहर के अनुवादकों से भुगतान आधार पर अनुवाद करवाया जाता था । इस प्रकार, इस योजना के प्रारंभ से लेकर जुलाई, 2014 तक 6,77,332 मानक पृष्ठों का अनुवाद कार्य पूरा किया गया। दिनांक 28.07.2014 की फा0 सं0 13011/48/2014-रा.भा. (के.अनु.ब्यूरो) के आदेश के अनुसार, अनुवाद क्षमता विस्तार योजना बंद कर दी गई।

इस प्रकार, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की नियमित स्थापना तथा अनुवाद क्षमता विस्तार योजना के अंतर्गत 31 दिसंबर, 2017 तक कुल 25,06,720 मानक पृष्ठों का अनुवाद किया गया ।

4.4 प्रशिक्षण

4.4.1 केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद और अनुवाद प्रशिक्षण के क्षेत्र में भारत सरकार, राजभाषा विभाग की एक शीर्ष संस्था है। केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निगमों आदि में कार्यरत अनुवादकों तथा अनुवाद कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता रहा है। अप्रैल, 2017 से 31 दिसम्बर, 2017 तक ब्यूरो (तीन केंद्रों सहित) द्वारा आयोजित किए गए विविध अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

(क) प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण (अनिवार्य) (30 कार्य दिवस)

प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (30 कार्य दिवस) के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा निगमों आदि में कार्यरत अनुवादकों, हिंदी सहायकों तथा राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अन्य कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम की अवधि 30 कार्यदिवस है। वित्त वर्ष में मुख्यालय तथा मुंबई, बेंगलूर और कोलकाता में स्थित अनुवाद प्रशिक्षण केंद्रों के लिए 16 कार्यक्रमों (प्रत्येक केंद्र 4 कार्यक्रम) के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम सप्ताह में परीक्षा एवं अंत में प्रमाणपत्र तथा पदक प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2017 तक 11 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 185 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ख) अधिकारियों के लिए उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 कार्यदिवस)

उच्चस्तरीय अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि में राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण विशेषज्ञ अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह प्रशिक्षण केवल मुख्यालय में आयोजित किया जाता है। ये पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्ष में तीन बार आयोजित किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में 31 दिसंबर, 2017 तक 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 39 अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ग) पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (आउटरीच) (5 कार्यदिवस)

पुनश्चर्या अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों, तथा उपक्रमों आदि में कार्यरत हिंदी अनुवादकों एवं राजभाषा के कार्यान्वयन से जुड़े उन सभी कर्मचारियों (पदनाम चाहे जो भी हों) को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिन्होंने पूर्व में संचालित त्रैमासिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम, 30 कार्य दिवसीय प्रारंभिक अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि के तहत प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। वित्त वर्ष में मुख्यालय तथा तीनों केंद्रों सहित 8 कार्यक्रमों (प्रत्येक केंद्र 2 कार्यक्रम) के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेषज्ञ अतिथि व्याख्याताओं के माध्यम से आयोजित होते हैं। इस कार्यक्रम में 31 दिसंबर, 2017 तक 4 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 58 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

(घ) संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (आउटरीच) (5 कार्यदिवस)

संक्षिप्त अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार के कार्यालयों/संगठनों में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन से जुड़े कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह आउटरीच कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम किसी भी कार्यालय/संगठन तथा नराकास की मांग पर भारत में कहीं भी आयोजित किया जाता है। वर्तमान वित्त वर्ष में यह कार्यक्रम मुख्यालय में 10 तथा तीनों केंद्रों के लिए 6 कार्यक्रमों (प्रत्येक केंद्र 2 कार्यक्रम) सहित कुल 16 कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इसके अंर्तगत 31 दिसंबर, 2017 तक 13 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 345 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

(ड.) विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम (5 कार्यदिवस)

यह कार्यक्रम हिंदी अधिकारियों/वरिष्ठ अधिकारियों/तकनीकी अधिकारियों के लिए नियत है। 'विशेष तकनीकी अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम' विशेषज्ञ विद्वानों के सहयोग और अतिथि व्याख्यान के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। यह कार्यक्रम संगठन विशेष के लिए होते हैं। इसमें संबंधित संगठन के विशेषज्ञ

तथा बाह्य विशेषज्ञ प्रशिक्षण व्याख्यान देते हैं। ब्यूरो के अधिकारी केवल इन कार्यक्रमों का समन्वय करते हैं। वित्त वर्ष की प्रत्येक तिमाही में एक कार्यक्रम (कुल 4 कार्यक्रम) का आयोजन होता है। यह कार्यक्रम ब्यूरो मुख्यालय, नई दिल्ली में अथवा कार्यालयों/संगठनों/ उपक्रमों एवं नराकास की मांग पर भारत में कहीं भी आयोजित किया जा सकता है। इस प्रशिक्षण के समापन पर प्रमाणपत्र प्रदान किए जाते हैं। इस कार्यक्रम में 31 दिसंबर, 2017 तक 2 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 52 कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

इस प्रकार अब तक उपर्युक्त अनुवाद प्रशिक्षण के 32 कार्यक्रमों में 679 कार्मिकों/अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

अध्याय-5

हिंदी शिक्षण योजना तथा केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

5.1 हिंदी शिक्षण योजना

राष्ट्रपति जी के 27 अप्रैल, 1960 के आदेश के अनुसार, वर्ग "घ" श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी सीखना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ ऐसे टंककों तथा आशुलिपिकों के लिए भी हिंदी टंकण एवं हिंदी आशुलिपि सीखना अनिवार्य है, जिन्हें हिंदी टंकण और हिंदी आशुलिपि नहीं आती। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंदी शिक्षण योजना का गठन किया गया। इन कक्षाओं में नामांकित कर्मचारियों के लिए कक्षा में नियमित रूप से उपस्थित रहना और परीक्षा में बैठना अनिवार्य है । केंद्रीय सरकार के स्वामित्व और नियंत्रणाधीन कंपनियों, निगमों, उपक्रमों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए भी हिंदी का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

5.2 हिंदी सीखने के लिए सुविधाएं एवं प्रोत्साहन

हिंदी प्रशिक्षण पाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को अनेक प्रोत्साहन तथा नकद पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है:-

सुविधाएं-

1. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रशिक्षण और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती ।
2. पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।
3. कक्षाएं दफ्तर के समय में चलाई जाती हैं।
4. कक्षाओं में आने-जाने के लिए मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।
5. परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक व्यय दिया जाता है।
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की भी छूट दी जाती है।
7. प्रशिक्षण व परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है।
8. राजपत्रित अधिकारियों को भी हिंदी सिखाने के लिए अलग से कक्षाएं चलाई जाती हैं ।
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में प्रविष्टियां की जाती हैं।
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

प्रोत्साहन:

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए - एक वेतन-वृद्धि के बराबर)

1. जिन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्राज्ञ परीक्षा अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्राज्ञ परीक्षा पास करने पर ।
2. जिन कर्मचारियों के लिए प्रवीण या प्रबोध परीक्षा ही अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्रवीण या प्रबोध परीक्षा 55 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर पास करने पर।
3. जिन राजपत्रित अधिकारियों के लिए प्रवीण परीक्षा अंतिम परीक्षा है, उन्हें प्रवीण परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंक लेकर पास करने पर।

(ख) नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

प्रबोध (रूपए में)	**प्रवीण (रूपए में)**	**प्राज्ञ (रूपए में)**	**नकद पुरस्कार के लिए पात्रता**
1600	1800	2400	70 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर
800	1200	1600	60 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर
400	600	800	55 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर

(ग) एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिंदी भाषा प्रशिक्षण संचालित नहीं हैं अथवा वे प्रचालन कर्मचारी हैं ।

प्रबोध	**प्रवीण**	**प्राज्ञ**
1600 रूपये	1500 रूपये	2400 रूपये

5.3 हिंदी टाइपलेखन और हिंदी आशुलिपि सीखने के लिए सुविधाएं और प्रोत्साहन

<u>सुविधाएं</u>:

1. सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रशिक्षण और परीक्षा की कोई फीस नहीं ली जाती।
2. पाठ्य-पुस्तकें मुफ्त दी जाती हैं।
3. कक्षाएं दफ्तर के समय में चलाई जाती हैं।
4. कक्षाओं में आने-जाने के लिए मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है।

5. परीक्षाओं में बैठने वाले कर्मचारियों के लिए नियमानुसार यात्रा भत्ता/वास्तविक व्यय दिया जाता है।
6. परीक्षाओं में प्राइवेट रूप से बैठने की भी छूट दी जाती है।
7. प्रशिक्षण व परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अधिकारी/कर्मचारी को ड्यूटी पर माना जाता है।
8. मान्यता प्राप्त टाइपिंग एवं आशुलिपि प्रशिक्षण केंद्रों पर दफ्तर के समय में प्रशिक्षण के लिए जाने की अनुमति दी जाती है।
9. निर्धारित परीक्षा पास करने पर सेवापंजी में प्रविष्टियां की जाती हैं।
10. नकद और एकमुश्त पुरस्कारों की राशि पर आयकर नहीं लगता।

<u>प्रोत्साहन</u>

(क) वैयक्तिक वेतन (12 महीने के लिए - एक वेतन-वृद्धि के बराबर)

1. अराजपत्रित कर्मचारियों को हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर।
2. राजपत्रित आशुलिपिकों को हिंदी आशुलिपि परीक्षा 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक लेकर प्राप्त करने पर।

टिप्पणी:- जिन आशुलिपिकों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन्हें हिंदी आशुलिपि की परीक्षा पास करने पर पहले 12 महीनों के लिए दो वेतन-वृद्धियों और अगले 12 महीनों के लिए एक वेतन-वृद्धि के बराबर वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

(ख) नकद पुरस्कार (विशेष योग्यता के साथ परीक्षा पास करने पर)

राशि	हिंदी टाइपिंग	हिंदी आशुलिपि
2400 रुपये	97 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर	95 प्रतिशत या अधिक अंक होने पर
1600 रुपये	95 प्रतिशत या अधिक परंतु 97 प्रतिशत से कम अंक होने पर	92 प्रतिशत या अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम होने पर
800 रुपये	90 प्रतिशित या अधिक परंतु 95 प्रतिशत से कम अंक होने पर	88 प्रतिशत या अधिक परंतु 92 प्रतिशत से कम होने पर

(ग) एकमुश्त पुरस्कार (निजी प्रयत्नों से परीक्षा पास करने पर)

उन कर्मचारियों को जो ऐसे स्थानों पर नियुक्त हैं, जहां हिंदी टाइपिंग/हिंदी आशुलिपि सिखाने के लिए प्रशिक्षण केंद्र नहीं खोले गए हैं।

हिंदी टाइपिंग - 1600 रूपये
हिंदी आशुलिपि - 3000 रूपये

5.4 हिंदी शिक्षण योजना के पाठ्यक्रम

योजना के अधीन निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं । प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रत्येक पाठ्यक्रम की प्रशिक्षण अवधि 05 माह की होती है।

1. प्रबोध - इसका स्तर प्राइमरी कक्षा की हिंदी के स्तर के बराबर है।
2. प्रवीण - इसका स्तर मिडिल स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है।
3. प्राज्ञ - इसका स्तर हाई स्कूल की हिंदी के स्तर के बराबर है।
4. पारंगत - इसका स्तर स्नातक स्तर की हिंदी के बराबर है।
5. हिंदी टंकण - 25 शब्द प्रति मिनट की गति । यह छह महीने का पाठ्यक्रम होता है।
6. हिंदी आशुलिपि- 80 व 100 शब्द प्रति मिनट की गति। यह एक वर्ष का पाठ्यक्रम होता है।

5.5 हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों की व्यवस्था

क. हिंदी भाषा प्रशिक्षण केंद्र

केंद्र सरकार के हिंदी न जानने वाले कर्मचारियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत देश भर में पूर्णकालिक और अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र चलाए जा रहे हैं । प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन के लिए प्राध्यापक नियुक्त किए गए हैं, जिनकी देख-रेख की जिम्मेदारी केंद्र सरकार के स्थानीय कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी जाती है । इन अधिकारियों से संपर्क बनाए रखने के लिए और योजना के सुचारू रूप से संचालन के लिए हिंदी शिक्षण योजना को पाँच क्षेत्रों में रखा गया है, जिनके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, चेन्नै, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में स्थित हैं । प्रत्येक क्षेत्र का प्रभारी उप निदेशक होता है, जो इस योजना का शैक्षिक, प्रशासनिक और संगठनात्मक काम देखते हैं । इस समय देश भर में हिंदी भाषा के 361 प्रशिक्षण केंद्र चल रहे हैं, जिनमें 358 पूर्णकालिक और 03 अंशकालिक हैं।

ख. हिंदी टंकण/आशुलिपि के प्रशिक्षण केंद्र

केंद्र सरकार के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दृष्टि से हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी टाइपलेखन तथा हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है । इस समय देश में हिंदी टाइपलेखन एवं हिंदी आशुलिपि के 30 प्रशिक्षण केंद्र हैं, जिनमें 23 पूर्णकालिक प्रशिक्षण केंद्र और 07 अंशकालिक प्रशिक्षण केंद्र हैं ।

5.6 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

राजभाषा विभाग के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना दिनांक 31 अगस्त, 1985 को निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए की गई थी:-

(1) केंद्र सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों, उद्यमों तथा बैंकों आदि में नए भर्ती होने वाले हिंदी न जानने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा तथा अंग्रेजी टाइप और अंग्रेजी आशुलिपि जानने वाले कर्मचारियों के लिए हिंदी टाइप और हिंदी आशुलिपि के पूर्णकालिक गहन प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(2) प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षकों को हिंदी पढ़ाने की नई तकनीक की जानकारी देने के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का आयोजन करना ।

(3) संघ सरकार के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए जो हिंदी का ज्ञान तो रखते हैं किंतु हिंदी में काम करने में कठिनाई महसूस करते हैं । ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए पांच पूर्ण कार्य दिवसीय कार्यशालाओं का आयोजन करना ।

5.6.1 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप-संस्थान

संस्थान के कार्यकलापों को गति देने और प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार के लिए संस्थान, नई दिल्ली के अंतर्गत मुंबई,(बडोदरा उप केंद्र) कोलकाता, बेंगलूर, हैदराबाद और चेन्नै में 06 उप-संस्थान खोले गए हैं।

वर्तमान में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों में हिंदी भाषा के 09 एवं हिंदी टंकण/आशुलिपि के 07 कुल 16 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं ।

इस प्रकार हिंदी शिक्षण योजना एवं केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अंतर्गत देश भर में हिंदी भाषा के कुल 361+09=370 तथा हिंदी टंकण/आशुलिपि के 30+07=37 तथा कुल 370+37=407 प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं ।

5.7 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य एवं उपलब्धियों का विवरण

वर्ष 2017-18 में हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत प्रशिक्षार्थियों के नामांकन, लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**वार्षिक लक्ष्य (01-04-2017 से 31-03-2018 तक)**	**उपलब्धि (31 दिसंबर 2017) की स्थिति के अनुसार**
क.	**<u>हिंदी भाषा</u>**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत)	28880	20709
2.	गहन हिंदी प्रशिक्षण (प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत)	2700	826
3.	भाषा पत्राचार (प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ)	4000	2883
	कुल	**35580**	**24418**

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	वार्षिक लक्ष्य (01-04-2017 से 31-03-2018 तक)	उपलब्धि (31-12-2017) की स्थिति के अनुसार)
ख.	**<u>हिंदी टंकण</u>**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना	3180	2332
2.	गहन टंकण	630	211
3.	टंकण पत्राचार पाठ्यक्रम	1000	1098
	कुल	**4180**	**3641**
ग.	**<u>हिंदी आशुलिपि</u>**		
1.	हिंदी शिक्षण योजना	660	113
2.	गहन आशुलिपि प्रशिक्षण	210	43
	कुल	**870**	**156**

5.7.1 केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान एवं उप संस्थानों में संचालित गहन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों मे प्रशिक्षार्थियों का विवरण

वर्ष 2017-18 (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार) में चलाए गए पाठ्यक्रमों में शामिल प्रशिक्षार्थियों का विवरण इस प्रकार है:-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	प्रतिभागियों की संख्या (01.04.2017 से 31.12.2017 तक)
01.	25 पूर्णकार्य दिवसीय गहन प्रबोध पाठ्यक्रम	91
02.	20 पूर्णकार्य दिवसीय गहन प्रवीण पाठ्यक्रम	178
03.	15 पूर्णकार्य दिवसीय गहन प्राज्ञ पाठ्यक्रम	212
04	20 पूर्णकार्य दिवसीय गहन पारंगत पाठ्यक्रम	345
05.	टाइपिस्टों/लिपिकों के लिए 40 पूर्ण कार्य दिवसीय टाइपिंग प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	211
06.	आशुलिपिकों के लिए 80 पूर्ण कार्य दिवसीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	43
07.	कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए 05 पूर्ण कार्य दिवसीय गहन हिंदी कार्यशाला	388
08.	अन्य अल्कालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	100

अध्याय-6

इलेक्ट्रानिक उपकरणों पर राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास

राजभाषा नीति के अनुपालन हेतु केंद्र सरकार के कार्यालयों में देवनागरी लिपि में कार्य करने की सुविधा होना आवश्यक है । राजभाषा विभाग के अंतर्गत तकनीकी कक्ष इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है । वर्ष 2017-18 के दौरान तकनीकी कक्ष की प्रमुख गतिविधियां/उपलब्धियां निम्न प्रकार रहीं :-

6.1 कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था

कंप्यूटर पर हिंदी में कार्य करने के लिए समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलूर, गुवाहाटी, चैन्नई, मुंबई, चण्डीगढ़, कोचीन, भुबनेश्वर, पुणे, विशाखापट्टणम, कानपुर, वडोदरा, अहमदाबाद, जबलपुर, जम्मू, सिकंदराबाद, तथा कोयम्बत्तूर में कराया गया । वर्ष 2017-18 के दौरान 100 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करवाया गया । राजभाषा विभाग द्वारा प्रायोजित इन कार्यक्रमों में केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ सरकारी उपक्रमों तथा बैंकों के अधिकारियों/कर्मचारियों ने भी भाग लिया ।

6.2 हिंदी प्रयोग में सहायक सॉफ्टवेयरों का विकास

(क) कंप्यूटर की सहायता से अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद परियोजना - "मंत्रा-राजभाषा"

राजभाषा विभाग द्वारा सी-डेक, पुणे की सहायता से सरकारी कामकाज के विभिन्न कार्यक्षेत्रों (डोमेन्स) के दस्तावेजों के लिए कंप्यूटर साधित अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए विकसित किए गए "मंत्रा-राजभाषा सॉफ्टवेयर" प्रयोग हेतु विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध है ।

(ख) **लीला हिंदी प्रबोध,प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रम इंटरनेट पर - "लीला-राजभाषा"**

इस परियोजना के अंतर्गत हिंदी भाषा शिक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रमों को स्वयं ऑनलाइन हिंदी सीखने के लिए राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है । कोई भी व्यक्ति राजभाषा विभाग की वेबसाइट से उपरोक्त पाठ्यक्रमों के अनुसार तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, अंग्रेजी, बंगला, असमिया, मणिपुरी, मराठी, उड़िया,पंजाबी, नेपाली, कश्मीरी, गुजराती एवं बोडो के माध्यम से नि:शुल्क हिंदी सीख सकता है ।

लीला - राजभाषा के मोबाइल वर्जन का विकास वर्ष 2017-18 में करवाया गया है । यह सभी ब्राउज़र तथा राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है ।

(ग) ई-महाशब्दकोश

ई-महाशब्दकोश एक ऑनलाइन द्विभाषी-द्विआयामी हिंदी-अंग्रेजी उच्चारण शब्दकोश है । इस शब्दकोश में मूल अर्थ, पर्यायवाची शब्द प्रयोग एवं शब्दों का विशिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग भी दिया गया है । ई-महाशब्दकोश के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी शब्दों के लिए खोज सुविधा दी गई है । इस शब्दकोश का उद्देश्य शब्द का पूर्ण, सटीक, संक्षिप्त अर्थ और परिभाषा उपलब्ध कराना है । अब तक कुल 12 कार्यक्षेत्रों की शब्दावली के लिए ई-महाशब्दकोश उपलब्ध है । ई-महाशब्दकोश के मोबाइल वर्जन का विकास वर्ष 2017-18 में करवाया जा रहा है ।

(घ) ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली

हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली का विकास कार्य करते हुए हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करवाने की तकनीक का विकास किया गया और विभिन्न स्थानों के 8 केन्द्रों पर ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई।

(ड़) तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन मंगवाने हेतु एम.आई.एस.

राजभाषा विभाग द्वारा सभी मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों/बैंकों आदि से हिंदी कार्यान्वयन के संबंध में तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट मंगवाई जाती है । इस रिपोर्ट को ऑनलाइन मंगवाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा एम.आई.एस. सॉफ्टवेयर का विकास करवाया गया है । इस सॉफ्टवेयर के द्वारा सभी मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक आदि अपनी तिमाही प्रगति रिपोर्ट और वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट ऑनलाइन राजभाषा विभाग में भेज सकते हैं । लगभग 7766 कार्यालय इसके माध्यम से अपनी रिपोर्ट भेजते हैं ।

6.3 लघु कहानियां एवं हिन्दी प्रश्नोत्तरी

राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर 'ऑनलाइन हिन्दी प्रश्नोत्तरी' और महान साहित्यकारों की 100 लघु कथाओं का संकलन उपलब्ध किया गया । सूचना प्रौद्योगिकी के मौजूदा दौर में इंटरनेट के माध्यम से हिन्दी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ाने के लिए राजभाषा विभाग ने यह प्रतियोगिता शुरू की हैं। केंद्र सरकार की प्रेरणा और प्रोत्साहन की राजभाषा नीति के अनुसरण में इस ऑनलाइन हिन्दी प्रतियोगिता के माध्यम से केंद्र सरकार के कार्मिकों का हिंदी शब्द-ज्ञान बढ़ेगा और विभाग की वेबसाइट पर उन्हें नियमित रूप से आकर्षित किया जा सकेगा जिससे राजभाषा हिन्दी के प्रति उनकी रूचि और निकटता बढ़ेगी । साथ ही, आम नागरिकों और हिन्दी प्रेमियों को राजभाषा विभाग की वेबसाइट श्रेष्ठतम कहानियाँ टेक्स्ट और आडियो रूप में उपलब्ध

होंगी जिनके पठन-पाठन से उनकी साहित्यिक अभिरुचि में वृद्धि होगी और उनकी भाषाई दक्षता में सुधार आएगा ।

6.4 तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन ।

कंप्यूटरों पर हिन्दी में कार्य करने की तकनीकी की जानकारी देने हेतु पुद्दुचेरी, जोधपुर, इंदौर तथा गुवाहाटी में एक दिवसीय तकनीकी संगोष्ठियों का आयोजन करवाया गया । इन तकनीकी संगोष्ठियों में राजभाषा तकनीकी टूल्स तथा विभिन्न कार्यालयों के प्रतिभागियों द्वारा अपने कार्यालयों में कंप्यूटरों पर हिन्दी में किए जा रहे कार्यों की प्रस्तुति दी गई ।

6.5 केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों की वैबसाइट (हिंदी-अंग्रेजी) की जांच

केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों की वैबसाइट की जांच द्विभाषी (हिन्दी -अंग्रेजी) रूप में की गई । जांच में पाई गई हिन्दी वैबसाइट की कमियों को केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में अवगत कराया गया ।

6.6 राजभाषा विभाग की वेबसाइट

राजभाषा विभाग की वेबसाइट में विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियों के अतिरिक्त हिंदी सीखने के लिए लीला-प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ, द्विभाषी एवं द्विआयामी ई-महाशब्दकोश, अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के लिए 'मंत्रा राजभाषा', हिंदी में कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का कैलेंडर, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की गतिविधियों की जानकारी, राजभाषा विभाग का वार्षिक कार्यक्रम एवं हिन्दी प्रश्नोत्तरी आदि सूचनाएं पोर्टल पर भी उपलब्ध करायी गई हैं । भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों की तिमाही और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट, संसदीय राजभाषा समिति की प्रश्नावली आदि भी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं । राजभाषा विभाग वेबसाइट का पता है **www.rajbhasha.gov.in**।

राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी में व्यापक संवर्धन करते हुए वेबसाइट के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक एवं अधिक उपयोगी बनाया गया है ।

अध्याय-7

प्रचार-प्रसार, प्रकाशन तथा साहित्य का वितरण

राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा समय-समय पर जारी नियमों, विनियमों, आदेशों की जानकारी देने के लिए राजभाषा विभाग विभिन्न प्रकाशन निकालता है। प्रकाशनों को सभी मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों और संस्थानों आदि में नि:शुल्क वितरित किया जाता है।

7.1 त्रैमासिक पत्रिका-राजभाषा भारती

वर्ष 1978 से 'राजभाषा भारती' नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इस पत्रिका के दिसम्बर, 2017 तक 153 अंक प्रकाशित किये जा चुके हैं। पत्रिका में राजभाषा/साहित्य/ज्ञान-विज्ञान पर स्तरीय तथा सरल हिंदी में लिखे गए ज्ञानप्रद लेख प्रकाशित किए जाते हैं । विभिन्न तकनीकी/वैज्ञानिक विषयों पर हिंदी में लेखन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पत्रिका में इस तरह के आलेखों को प्राथमिकता दी जाती है । इसके साथ ही विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अनुदेशों को पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है । समय-समय पर विशेषांक भी प्रकाशित किए जाते हैं ।

राजभाषा भारती के पाठकों में और अधिक ऊर्जा का संचार करने के लिए पत्रिका में माननीय मंत्रियों/विद्वानों के विचारों को समाहित करने का प्रयास शुरू किया गया । इसके अंतर्गत राजभाषा भारती के अंक 148 से साक्षात्कार का कॉलम प्रारंभ किया गया है । अंक 150 को विशेषांक के रूप में प्रकाशित किया गया ।

राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा के निरंतर प्रचार-प्रसार संबंधी गतिविधियां की जाती हैं । इन गतिविधियों को पाठकों तक पहुंचाने की दिशा में एक नये प्रयास के रूप में कार्य किया गया तथा पत्रिका 'राजभाषा भारती' में नये स्तंभ 'संयुक्त सचिव की कलम से' की शुरूआत की गई । इस स्तंभ के अंतर्गत प्रत्येक तीन माह में राजभाषा विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है ।

7.2 हिंदी की स्तरीय पुस्तकों की सूची तैयार करना

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों आदि के पुस्तकालयों में हिंदी पुस्तकों की खरीद को प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि वे वार्षिक कार्यक्रमों में हिंदी पुस्तकों की खरीद संबंधी

लक्ष्यों को पूरा कर सकें । इसके लिए प्रतिवर्ष स्तरीय पुस्तकों की एक सूची राजभाषा विभाग द्वारा तैयार करके जारी की जाती है । दिसंबर, 2017 तक 47,299 पुस्तकों की सूची तैयार की जा चुकी है। पुस्तक की सूची विभाग की वेबसाइट **www.rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7.3 वार्षिक कार्यक्रम

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित राजभाषा संकल्प 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार कर वितरित किया जाता है, जिसमें भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/ उपक्रमों/बैंकों आदि में हिंदी में सरकारी कामकाज के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं । वर्ष 2017-18 का वार्षिक कार्यक्रम सभी मंत्रालयों/विभागों आदि में वितरित किया गया। यह वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग के पोर्टल **www.rajbhasha.gov.in** पर भी उपलब्ध कराया गया।

7.4 वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट

राजभाषा संकल्प, 1968 के प्रावधानों के अनुपालन में वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों/विभागों आदि में वार्षिक कार्यक्रम की विभिन्न मदों के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में की गई प्रगति दर्शायी जाती है तथा इसे संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में पाई गई कमियों में सुधार लाने के लिए कार्रवाई करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों का ध्यान आकर्षित किया जाता है । वर्ष 2015-16 और वर्ष 2016-17 की वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्टें तैयार की गईं और इन्हें संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया और इसके साथ ही इसे राजभाषा विभाग के पोर्टल पर भी अपलोड किया गया।

7.5 प्रचार सामग्री का वितरण

भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/बैंकों इत्यादि में हिंदी की उत्कृष्ट पुस्तकों की खरीद हेतु राजभाषा विभाग द्वारा चयनित पुस्तक सूची को राजभाषा विभाग के पोर्टल पर डाला गया । इसके साथ-साथ, पूरे देश में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों को हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम पुस्तक, वार्षिक कार्यक्रम, वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट तथा राजभाषा भारती का वितरण किया गया ।

7.6 शुभकामना संदेश

विभाग द्वारा पूरे देश में फैले हुए केंद्र सरकार के कार्यालयों, बैंकों, उपक्रमों, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों, विभिन्न अकादमियों तथा स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा अपनी पत्रिकाओं/प्रकाशनों तथा समारोहों के लिए माननीय गृह मंत्री, गृह राज्य मंत्री, सचिव (राजभाषा) तथा संयुक्त सचिव (राजभाषा) की ओर से शुभकामना संदेशों के लिए अनुरोध प्राप्त होते हैं | इसके अतिरिक्त, विभिन्न पत्रिकाओं/प्रकाशनों/पुस्तकों पर प्रतिक्रिया देने के बारे में भी अनुरोध प्राप्त होते है । चूँकि ये संदेश राजभाषा के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं, विभाग द्वारा प्राय: सभी अनुरोधों का समुचित उत्तर देते हुए उन्हें माननीय गृह मंत्री जी, माननीय गृह राज्य मंत्री जी, सचिव तथा संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग की ओर से संदेश आदि प्रेषित किए जाते हैं|

7.7 वार्षिक रिपोर्ट

राजभाषा विभाग की वर्ष 2016-17 की वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की गई और इसकी प्रतियां लोक सभा और राज्य सभा कार्यालय के प्रकाशन काउंटरों पर एवं संसद के पुस्तकालय में रखी गईं । इसके अलावा, इसे केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में वितरित किया गया।

अध्याय-8

केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा

8.1 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध कार्यालयों में सृजित हिंदी पदों को एकीकृत संवर्ग में लाने तथा उनके पदाधिकारियों को समान सेवा शर्तें, वेतनमान और पदोन्नति के अवसर प्रदान करने हेतु केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा का गठन वर्ष 1981 में केंद्रीय हिंदी समिति द्वारा वर्ष 1976 में लिए गए निर्णय के परिणामस्वरूप किया गया था । राजभाषा विभाग इसका संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी है । इस सेवा में भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों के सभी हिंदी पद, कुछ वैज्ञानिक और तकनीकी विभाग जैसे सूचना प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग आदि को छोड़कर शामिल हैं। वर्ष 2011 में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग की समीक्षा की गई | सातवें वेतन आयोग की सिफ़ारिशों के अनुपालन, कुछ अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा सृजित करवाए गए पदों तथा कुछ विभागों के बंद होने पर केंद्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल पदों की पुन:संरचना निम्नानुसार है-

क्र. सं.	**पदनाम**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर (रुपए)**	**स्वीकृत पद**
1	निदेशक (रा.भा.)	स्तर-13 (*123100-215900)*	18
2	संयुक्त निदेशक (रा.भा.)	स्तर-12 (*78800-209200)*	36
3	उप निदेशक (रा.भा.)	स्तर-11 (*67700-208700)*	85
4	सहायक निदेशक (रा.भा.)	स्तर-10 (*56100-177500)*	203
5	वरिष्ठ अनुवादक	स्तर-7 (*44900-142400)*	318
6	कनिष्ठ अनुवादक	स्तर-6 (*35400-112400)*	349
		कुल	**1009**

8.2. केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग में उपर्युक्त ग्रेडों में 1009 पद हैं । दिल्ली से बाहर के 57 पदों को छोड़कर शेष पद दिल्ली स्थित भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध कार्यालयों में हैं।

8.3. सेवा का पुनर्गठन हो जाने के परिणामस्वरूप विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध कार्यालयों में हिंदी पदों पर कार्यरत कार्मिकों की सेवाकालीन पदोन्नति के अवसरों में सुधार हुआ है।

एक संयुक्त निदेशक को निदेशक के पद पर पदोन्नत किया गया, 31 तदर्थ संयुक्त निदेशकों/उप निदेशकों को संयुक्त निदेशक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नत किया

गया एवं 81 तदर्थ वरिष्ठ अनुवादकों को वरिष्ठ अनुवादक के पद पर नियमित किया गया है । वर्ष 2011 से वर्ष 2012 के दौरान भर्ती किए गए 53 अस्थायी कनिष्ठ अनुवादकों को स्थायी किया गया है ।

8.4 सभी मंत्रालयों/विभागों के अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों और संगठनों आदि में कार्यरत हिंदी अधिकारियों/कर्मचारियों को पदोन्नति के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक अधीनस्थ कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम और अन्य संगठन के लिए अलग-अलग संवर्ग गठित करने पर बल दिया गया है ।

8.5 सरकार के कार्य में पारदर्शिता एवं जवाबदेही को प्रोत्साहन देने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार दिनांक 01.01.2017 से 31.12.2017 तक की अवधि में प्राप्त हुए सभी 108 आवेदनों एवं 10 अपीलों का निपटान किया गया !

अध्याय-9

संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य

9.1 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(1) के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि अधिनियम की धारा 3 के लागू होने की तारीख (अर्थात 26 जनवरी, 1965) से 10 वर्ष की समाप्ति के पश्चात संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में हुई प्रगति का पुनरावलोकन करने के लिए एक समिति, इस विषय का संकल्प संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति जी की पूर्व स्वीकृति से प्रस्तावित और दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने पर, गठित की जाएगी। इस समिति में संसद के 30 सदस्य होने का प्रावधान है (20 लोक सभा से और 10 राज्य सभा से), जो क्रमश: लोक सभा तथा राज्य सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तदनुसार, जनवरी, 1976 में ससंदीय राजभाषा समिति का गठन किया गया। बाद में 1977, 1980, 1984, 1989, 1991, 1996, 1998, 1999, 2004, 2009 तथा 2014 के लोकसभा चुनावों के पश्चात समिति का पुनर्गठन हुआ। वर्तमान लोकसभा के गठन के पश्चात दिनांक 08.09.2014 को समिति का पुनर्गठन किया गया।

9.2 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4(3) के अनुसार समिति को यह अधिदेश है कि वह संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी के प्रयोग में की गई प्रगति का पुनरावलोकन करें तथा उस पर सिफारिशें करते हुए राष्ट्रपति जी को प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। राष्ट्रपति जी उस प्रतिवेदन को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएंगे तथा उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा जाएगा। सभी राज्यों की राय पर विचार के बाद इन सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए जाते हैं।

9.3 समिति ने राष्ट्रपति जी को अपना प्रतिवेदन अलग-अलग खंडों में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया था। अब तक प्रतिवेदन के नौ खंड प्रस्तुत किए गए हैं और इनमें से सभी नौ खंडों पर राष्ट्रपति जी के आदेश जारी हो चुके हैं।

9.4 प्रतिवेदन का पहला खंड 20.1.1987 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया था। इसमें केन्द्र सरकार के कार्यालयों में अनुवाद व्यवस्था, अनुवाद संबंधी प्रशिक्षण, हिंदी में संदर्भ और सहायक साहित्य और शब्दावली निर्माण आदि विषयों पर सिफारिशें की गई हैं। इसे 8.5.1987 को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा गया। इसमें की गई सिफारिशों पर राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के विचार जानने के लिए उन्हें परिचालित किया गया तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से भी इस संबंध में राय ली गई। इस खंड की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और उन पर राष्ट्रपति जी के आदेश दिसंबर, 1988 में जारी किए गए।

9.5 समिति के प्रतिवेदन का दूसरा खंड दिनांक 31.7.1987 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। इसमें सरकारी कामकाज के लिए यांत्रिक उपकरणों की आवश्यकता और उपयोगिता तथा इनमें देवनागरी लिपि की व्यवस्था, उन पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की उपलब्धता एवं प्रशिक्षण तथा ऐसे उपकरणों के उत्पादन एवं संभरण व्यवस्था आदि के बारे में सिफारिशें की गई हैं। इसे दिनांक 29.3.1988 को लोकसभा में तथा दिनांक 30.3.1988 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राजभाषा अधिनियम, 1963 4(3) के उपबंधों के अंतर्गत प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के बारे में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों की राय जानने के लिए इसकी प्रतियां उन्हें भेजी गईं। प्राप्त विचारों को ध्यान मे रखते हुए अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रतिवेदन पर राजभाषा विभाग के दिनांक 29.3.1990 के संकल्प द्वारा राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए।

9.6 प्रतिवेदन का तीसरा खंड फरवरी, 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह खंड केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के हिंदी शिक्षण तथा हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था तथा तत्संबंधी बातों के संबंध में है। यह खंड दिनांक 13.10.1989 को लोकसभा में तथा दिनांक 27.12.1989 को राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा विभिन्न मंत्रालयों/विभागो की राय प्राप्त करने के बाद सरकार द्वारा अधिकांश सिफारिशों को मूल रूप में तथा कुछ सिफारिशों को संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया तथा तदनुसार राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प 4.11.1991 को जारी किया गया।

9.7 प्रतिवेदन का चौथा खंड समिति द्वारा नवंबर, 1989 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह खंड देश के विभिन्न भागों में स्थित सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों आदि में हिंदी के प्रयोग की स्थिति से संबंधित है। इसे अगस्त, 1990 में संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा गया और इसकी प्रतियां राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों एवं मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं। उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा मूल रूप में या कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया तथा दिनांक 28.1.1992 को राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प जारी किया गया।

9.8 प्रतिवेदन का पांचवा खंड मार्च, 1992 में राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह विधायन की भाषा तथा विभिन्न न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसे दिनांक 9.3.1994 को लोक सभा में और दिनांक 17.3.1994 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं। उनसे प्राप्त राय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय से प्राप्त मत पर विचार करने के उपरांत समिति की अधिकांश सिफारिशों को मूल रुप में या कुछ संशोधनों के साथ सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा इस पर दिनांक 24.11.1998 के संकल्प द्वारा राष्ट्रपति जी के आदेश जारी किए गए हैं।

9.9 समिति के प्रतिवेदन का छठा खंड दिनांक 27.11.1997 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग, संघ तथा राज्य सरकारों के बीच और संघ तथा संघ राज्य क्षेत्रों के बीच परस्पर पत्र व्यवहार में उनकी राजभाषाओं के प्रयोग से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, इस खंड में विदेशों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग के बारे में भी समीक्षा की गई है। इसे दिनांक 13.03.2001 को लोक सभा में और दिनांक 18.04.2001 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं। उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा मूल रूप में अथवा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प दिनांक 17.09.2004 को जारी किया गया।

9.10 समिति के प्रतिवेदन का सातवां खंड दिनांक 03.05.2002 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह खंड केंद्र सरकार के कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग की वस्तुस्थिति, विभिन्न समितियों के कार्यकलाप, सरकारी कामकाज मूल रूप से हिंदी में करने, विधि संबंधी कार्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, राजभाषा हिंदी के प्रयोग हेतु प्रचार-प्रसार, राज्यों में राजभाषा हिंदी की स्थिति, वैश्वीकरण, कम्प्यूटरीकरण आदि विषयों से संबंधित है। इसे दिनांक 03.12.2002 को लोकसभा में और 11.12.2002 को राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गई थी। उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा मूल रूप में अथवा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया। इस खंड पर राष्ट्रपति जी के आदेश संबंधी संकल्प दिनांक 13.07.2005 को जारी किया गया।

9.11 समिति के प्रतिवेदन का आठवां खंड दिनांक 16.08.2005 को राष्ट्रपति जो को प्रस्तुत किया गया। यह खंड समिति द्वारा राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3), राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5, हिंदी में पत्राचार, प्रकाशन, कोड-मैनुअल एवं प्रशिक्षण इत्यादि से संबंधित राष्ट्रपति जी के आदेशों के अनुपालन की स्थिति का मंत्रालय-वार/क्षेत्रवार मूल्यांकन, केंद्र सरकार के कार्यालयों में पुस्तकों की खरीद, कम्प्यूटरीकरण और हिंदी, भर्ती नियमों में हिंदी ज्ञान की अनिवार्यता, शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थानों में हिंदी माध्यम की उपलब्धता, हिंदी विज्ञापनों पर व्यय तथा सार्वजनिक उपक्रमों के वाणिज्यिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग आदि से संबंधित है । इसे लोक सभा के पटल पर 15.05.2007 तथा राज्य सभा के पटल पर 16.05.2007 को रखा गया। इसकी प्रतियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और मंत्रालयों/विभागों को उनकी राय जानने के लिए भेजी गईं थीं। उनसे प्राप्त विचारों के आधार पर अधिकांश सिफ़ारिशों को सरकार द्वारा मूल रूप में अथवा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार कर लिया गया है। इस प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर राष्ट्रपति जी के आदेश 02.07.2008 को जारी किए गए।

9.12 समिति के प्रतिवेदन का नौवां खंड दिनांक 02.06.2011 को राष्ट्रपति जी को प्रस्तुत किया गया। यह खंड समिति द्वारा नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की सार्थकता में विद्यमान अवरोध एवं इनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए दिए गए सुझाव, राजभाषा हिंदी के प्रयोग, प्रशिक्षण तथा अनुवाद आदि में कम्प्यूटरों की नई तकनीकी की उपलब्धता एवं भूमिका, प्रौद्योगिकी तथा शिक्षा के क्षेत्रों में हिंदी की स्थिति, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए हिंदी के ज्ञान की अनिवार्यता, केंद्र सरकार द्वारा जारी विज्ञापनों में हिंदी भाषा के प्रयोग की विशेषताएं, हिंदी पुस्तकों का क्रय तथा हिंदी गृह पत्रिकाओं के प्रकाशन का उद्देश्य, समिति द्वारा आयोजित मौखिक साक्ष्यों के दौरान प्राप्त सूचनाओं की समीक्षा आदि से संबंधित है। इसे लोक सभा के पटल पर दिनांक 30.08.2011 को तथा राज्यसभा के पटल पर दिनांक 07.09.2011 को रखा गया। समिति की सिफ़ारिशों पर विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों आदि से विचार प्राप्त कर लेने के उपरांत अधिकांश सिफ़ारिशों को मूल रुप में तथा कुछ सिफ़ारिशों को आवश्यक संशोधन के साथ स्वीकार कर लिया गया है। समिति की नौवें खंड की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति का आदेश दिनांक 31 मार्च, 2017 को जारी कर दिया गया है।

9.13 इसके अलावा संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन (खंड-9) की सिफारिश संख्या 2 पर राष्ट्रपति जी के आदेशानुसार पिछले आठ खण्डों में अस्वीकृत संस्तुतियों अथवा संशोधन के साथ स्वीकृत संस्तुतियों पर भी राष्ट्रपति जी के परिशोधित आदेश राजभाषा विभाग के दिनांक 05 सितम्बर, 2017 के संकल्प द्वारा जारी कर दिए गए हैं ।

9.14 समिति के प्रतिवेदन का दसवें खंड का प्रारूप तैयार करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

अध्याय-10

डी.जी.सी.आर.की बकाया लेखा-परीक्षा आपत्तियों का विवरण (31.12.2017 तक)

क्र.सं.	विभाग	लेखा परीक्षा आपत्तियां
1.	राजभाषा विभाग (मुख्यालय)	12
2.	हिंदी शिक्षण योजना (पूर्व), कोलकाता	01
3.	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली	07
4.	उप निदेशक (मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली	03
5.	उप निदेशक (परीक्षा), नई दिल्ली	08
6.	उप निदेशक (दक्षिण), हिंदी शिक्षण योजना, चेन्नई	00
7.	हिंदी शिक्षण योजना (उत्तर पूर्व), गुवाहाटी	03
8.	केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली	07
9.	अनुवाद प्रशिक्षण केंद्र, बेंगलुरू	04
10.	संसदीय राजभाषा समिति	00
11.	क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय	16
	कुल	**61**

****